UPSB040099462020

न्यायालय Special Judicial Magistrate II, Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी- (Sri Yamuna Shankar Pandey)**, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP92002**

परिवाद सं0–7281/2020

सिद्वार्थ शंकर मिश्रा बनाम मनीष कुमार सिंह

आदेश

पत्रावली स्थानान्तरण द्वारा प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। पत्रावली तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये तथा तलबी पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी चिकित्सा एवं उपचार सेवा का व्यवसायी है तथा कस्बा रावर्ट्सगंज में संचालित रामा हास्पिटल एण्ड सर्जिकल सेन्टर का पंजीकृत विधिक प्रबंधक है एवं विपक्षी मनीष कुमार सिंह प्रोपराईटर आकार हल्थ केयर एण्ड सैल्यूसन जो कि चिकित्सा एवं व्यापार से जुड़े होने के कारण परिवादी `स मित्रवत सम्बंध व मिलना जुलना परिवारिक सम्बंध की तरह स्थापित हो गये थे, जिसके क्रम में विपक्षी ने अपने आर्थिक संकट बताकर वर्ष 2019 के अगस्त माह में परिवादी से मु0 2,00,000/–रूपये ऋण स्वरूप उधार में लिया और आश्वासन दिया कि पूरा रूपया अगले माह तक वापस कर दूंगा जिस पर विश्वास करके परिवादी ने विपक्षी को अपने मित्रवत व पारिवारिक सम्बंध के कारण उपस्थित गवाहान मु0 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये) नगद उधार स्वरूप दिया था। इसी क्रम में विपक्षी ने सितम्बर 2019 में अपने आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, शाखा लक्सा रोड, गोदौलिया, जनपद वाराणसी का चेक सं0 0002632 दिनांकित 26.09.2019 मु0 1,50,000/–रूपये का परिवादी को इस आश्वासन के साथ दिया कि उक्त चेक को अपने बैंक में प्रस्तुत कर उक्त धनराशि को ले लेवें एवं शेष मु0 50,000/–रूपये अगले माह तक वापस कर देगा। परिवादी ने उक्त चेक अपने एच0डी0एफ0सी0 बैंक के खाते में उक्त धनराशि के भुगतान हेतु लगाया किन्तु बैंक द्वारा बिना भुगतान के दिनांक 23.12.2019 को खाता बंद होने का कारण बताते हुए उक्त उक्त चेक रिटर्न मेमो के साथ वापस कर दिया। परिवादी ने विपक्षी को उक्त धनराशि के भुगतान हेतु दिनांक 27.01.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक विधिक नोटिस प्रेषित किया जिसमें धनराशि के भुगतान हेतु 15 दिवस का अवसर प्रदान किया गया था। उक्त अवधि बीत जाने के पश्चात भी विपक्षी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। तब परिवादी द्वारा यह परिवाद न्यायालय में संस्थित किया गया।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र कथन के समर्थन में अं.धारा–200 दं.प्र.सं. शपथ पत्र पेश किया है तथा मूल चेक, बैंक से प्राप्त दोनो रिर्टन मेमो, विधिक नोटिस की प्रति तथा रजिस्ट्री रसीद भी दाखिल किया है।

परिवाद कथनांक से प्रकट होता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को उसके विधिक दायित्व के एवज में अपने खाता का प्रश्नगत चेक दिया गया, जो परिवादी द्वारा बैंक में पेश करने पर विपक्षी का खाता बंद होने के कारण अनादृत हो गया। परिवादी द्वारा विपक्षी को विहित अवधि में कानूनी नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से दिया जिसकी रजिस्ट्री रसीद पत्रावली पर दाखिल की गयी है तथा परिवादी का सशपथ कथन है कि उक्त नोटिस में दी गयी अवधि समाप्त होने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा चेक की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से न्यायालय की राय में विपक्षी को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–138 परक्राम्य लिखित अधिनियम में आहूत किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

आदेश

अभियुक्त मनीष कुमार सिंह को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–138 परक्राम्य लिखित अधिनियम में आहूत किया जाता है। अभियुक्त जरिए सम्मन तलब हो।

परिवादी को आदेशित किया जाता है कि धारा–204 दं.प्र.सं. की पैरवीं अन्दर सप्ताह करें तथा लिस्ट गवाहान दाखिल करें।

पत्रावली दिनांक 31.08.2022 को पेश हो।

दिनांकः–19.07.2022

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
सोनभद्र